निविदा सूचना

उपायुक्त यमुनानगर द्वारा निर्धारित दरो पर एक वर्ष के लिए नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के दमकल केन्द्र, के लिए अनुबन्ध आधार पर 49 फायर मैन व 31 चालक उपलब्ध कराने हेतू रिप्यूटिड ऐजेसी की सेवाओ की आवश्यकता है। जिसके लिए ई-टैन्डरिगं के माध्यम से निविदाएं दिनांक 09.01.2017 को 1.00 बजे तक वैवसाईट etenders.hry.nic.in पर आमन्त्रित की जायेगी। निविदा की शर्ते निम्नलिखित है।

1. टैन्डर भरने वाली फर्म के पास फर्म का रजिस्ट्रेशन फार्म सी0रूल-9, ई0पी0एफ0 का रजिस्ट्रेशन, ई0एस0आई0 नम्बर व सर्विस टैक्स नम्बर होना अति आवश्यक है।
2. फर्म को दो बिड (टैक्नीकल + फाईनान्स) धरोहर राशि 25,000 रू0 का डिमाण्ड ड्राफट व 1000/-रू0 का टैन्डर फार्म (नोनरिफन्डेबल) आयुक्त नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के नाम दिनांक 09.01.2017 को सायं 3.00 बजे तक नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी में जमा करवाना अनिवार्य होगा। निविदाएं दिनांक 09.01.2017 को समय 03.00 बजे कार्यकारी अधिकारी नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी की देखरेख में खोली जायेगी तथा फर्म द्वारा दी गई विडों में अगर टैक्नीकल बिड सही नही पाई गई तो फाईनैशियल बिड नही खोली जायेगी व टैन्डर रदद कर दिया जायेगा।
3. सफल निविदादाता को 4,75,000 रू0 की धरोहर राशि तुरन्त नगर निगम कोष में जमा करानी होगी। इस प्रकार धरोहर राशि 5,00,000 लाख रू0 होगी। किसी भी फर्म की निविदा को बिना कारण बताए रद्व करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के पास सुरक्षित होगा।
4. फर्म को सिर्फ सर्विस चार्ज का भुगतान इन्कम टैक्स काटने उपरान्त किया जायेगा व टैन्डर के साथ संलग्न बी.ओ.क्यू. में सर्विस चार्ज प्रतिशत में डालनी अनिवार्य होगी।
5. हरियाणा सरकार द्वारा जब भी फायर विभाग अलग से गठित कर दिया जाता है तो ठेका उसी अवधि/यानि कि विभाग के गठन तक होगा।
6. वेतन का भुगतान हर माह की 7 तारीख को कर्मचारियों को करना होगा। उसके बाद ही फर्म के बिल की अदायगी की जायेगी अन्यथा सिक्योरिटी जब्त करके नया टैन्डर किया जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित फर्म जिम्मेदार होगी जिसका किसी भी न्यायालय में कोई क्लेम/कोर्ट केस नहीं किया जा सकता।

अनुबन्ध आधार पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की शैक्षिणक योग्यताएं, नियम व शर्ते दमकल केन्द्र, कार्यालय व वैबसाईट www.mcynr.com पर भी देखी जा सकती है।

कार्यकारी अधिकारी,
कृते: आयुक्त,
नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी।

<u>नियम व शर्ते</u>

नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के दमकल केन्द्र पर अनुबन्ध आधार पर फायरमैन व चालक रिप्युटिड ऐजैन्सी के माध्यम से रखने की शर्ते निम्न प्रकार से होगी।

क्रम सं.	फायरमैन	फायर चालक
1.	मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी से साईन्स विषय सहित मैट्रिक पास हो।	मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी से साईन्स विषय सहित मैट्रिक पास हो।
2.	हरियाणा राज्य अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र से फायर मैन का प्रशिक्षण पास हो।	3 वर्ष के अनुभव सहित भारी वाहन चालन का लाईसैन्स प्राप्त हो।
3.	शारिरिक तौर पर स्वस्थ हो	शारिरिक तौर पर स्वस्थ हो
4.	गहरे पानी में तैरने में सक्षम हो।	फायर गाडी की पम्प व अन्य कलपूर्जो की जानकारी के साथ अच्छा चालक हो।
5.	उचांई 5.7 ईन्च छाती 32 इन्च-34 इन्च वजन 54 किलोग्राम आखों की दृष्टि 6/6।	उचांई 5.7 ईन्च छाती 32 इन्च-34 इन्च वजन 54 किलोग्राम आखों की दृष्टि 6/6।
6.	डयूटी 8 घण्टे, 24 घण्टे की 3 शिफ्टो में चक्कर सहित आवश्यकता पडने पर डयूटी 12-12 घण्टे भी ली जा सकती है। जिसके बदले कोई रैस्ट या अवकाश प्रदान नही किया जा सकता।	डयूटी 8 घण्टे, 24 घण्टे की 3 शिफ्टो में चक्कर सहित आवश्यकता पडने पर डयूटी 12-12 घण्टे भी ली जा सकती है। जिसके बदले कोई रैस्ट या अवकाश प्रदान नही किया जा सकता।

7. फर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए फायरमैन/चालक के डयूटी से अनुपस्थित रहने की दशा में उसके मासिक वेतन में से एक दिन के अनुपात में वेतन काटा जायेगा।
8. उपलब्ध स्टाफ को साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अवकाश प्रदान नही किया जायेगा।
9. स्टाफ फायर ऑफिसर/सब फायर ऑफिसर/लिडिंग फायरमैन (स्थिति अनुसार) के अधिन कार्य करेगा। लिडिंग फायरमैन की अनुपस्थिति में स्टाफ सिनियर फायरमैन के अधीन कार्य करेगा और स्टाफ आयुक्त, नगर निगम के सामान्य नियन्त्रण में रहेगा।
10. फर्म को सिर्फ सर्विस चार्ज का भुगतान इन्कम टैक्स काटने उपरान्त किया जायेगा।
11. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये स्टाफ के किसी सदस्य को अग्नि काण्ड व डयूटी के समय किसी प्रकार की चोट व जान हानि के लिए नगर निगम किसी प्रकार की क्षती पूर्ती या दावें की अदायगी नही करेगी।
12. ऐजैन्सी उपलब्ध कराये जाने वाले स्टाफ को वर्दी या वर्दी से सम्बन्धित अन्य सामग्री ठेके की अवधि के दौरान ऐजेंसी द्वारा उपलब्ध करवायेगी।
13. वेतन का भुगतान हर माह की 7 तारीख को कर्मचारियों को करना होगा। उसके बाद ही फर्म के बिल की अदायगी की जायेगी अन्यथा सिक्योरिटी जब्त करके नया टैन्डर किया जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित फर्म जिम्मेदार होगी जिसका किसी भी न्यायालय में कोई क्लेम/कोर्ट केस नहीं किया जा सकता।
14. ऐजैन्सी द्वारा उपलब्ध करवाए गए स्टाफ के नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अनुशासन व आज्ञा कारिता के साथ पेश होना होगा।

15. स्टाफ को डयूटी के समय अवांछित गतिविधियां (ताश खेलना व मदीरा सेवन) की पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा।
16. ऐजैन्सी को पांच लाख रू0 धरोहर राशि के तौर पर नगर निगम में जमा कराने होगें। धरोहर राशि अनुबन्ध अवधि संतोषजनक पूर्ण होने उपरान्त बिना ब्याज वापिस कर दी जायेगी। परन्तु ऐजैन्सी द्वारा अनुबन्ध अवधि के दौरान निर्धारित शर्तो का उल्लघंन करने की दिशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
17. अनुबन्ध आरम्भ होने उपरान्त किसी कर्मचारी को बदलने के लिए दमकल केन्द्र अधिकारी/ कार्यकारी अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।
18. उपलब्ध कराये गये स्टाफ को पहचान पत्र ऐजैन्सी द्वारा प्रदान किया जायेगा।
19. डयूटी के दौरान उपलब्ध कराये गये किसी भी कर्मचारी की लापरवाही से नगर निगम की सम्पत्ति को होने वाली क्षती पूर्ती ऐजैन्सी द्वारा की जायेगी।
20. कर्मचारियों को उपायुक्त महोदय द्वारा समय-2 पर जारी निर्धारित दरों के साथ वेतन देने के लिए ऐजैन्सी पाबन्ध होगी।
21. नगर निगम यमुनानगर को यह हक होगा कि ऐजैन्सी को एक महीने का नोटिस देकर ठेका रद्व करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
22. कर्मचारी के बिमार होने पर अन्य कर्मचारी उपलब्ध करवाना ऐजैन्सी की जिम्मेवारी होगी।
23. ऐजैन्सी का कोई भी कर्मचारी न्यायालय की शरण में जाता है तो नगर निगम पर जो भी खर्चा पडेगा वह ऐजैन्सी द्वारा वहन किया जायेगा।
24. नगर निगम किन्ही कारणों से ऐजैन्सी की अदायगी में विलम्ब करती है तो ऐजैन्सी नगर निगम के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नही कर सकेगी।
25. कर्मचारियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना होने पर उसका हर्जा खर्चा पूर्णतः ऐजैन्सी द्वारा वहन किया जायेगा।
26. कर्मचारियों का 5 लाख का ग्रुप एशोरेन्स करवाने के लिए एजेंसी पाबन्द रहेगी।
27. हरियाणा चयन आयोग द्वारा दमकल केन्द्र पर स्थाई कर्मचारी भेजने उपरान्त ठेका तुरन्त प्रभाव से रद्व कर दिया जायेगा।
28. हरियाणा सरकार विभाग दमकल विभाग का अलग गठन होना प्रस्तावित है जब भी अलग से गठित कर दिया जायेगा तो ठेका उसी अवधि/यानि की विभाग के गठन तक होगा।
29. यदि ऐजैन्सी व नगर निगम में किसी विषय पर झगडा या मतभेद होता है तो आयुक्त, नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी या उन द्वारा नोमिनेट किये हुए अधिकारी का निर्णय दोनो को मान्य होगा।
30. पॉच वर्ष के अनुभव वाले अग्नि शमक/चालक को डी.सी. रेट के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

कार्यकारी अधिकारी,
कृतेः आयुक्त
नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी।